न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—19/2018 (2018/00052) वाद पत्र

उनवान

1—जाकिरहुसैन पिता मोईनुदीन नीलगर निवार्सी रायपुर तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
2—शराफतहुसैन पिता मोईनुदीन नीलगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
3—रहमतबानु पुत्री मोईनुदीन नीलगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
4—रजियाबानु पुत्री मोईनुदीन नीलगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
5—कमरूनिशा बेवा मोईनुदीन नीलगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—नारायणलाल पिता अमरा कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—मदनलाल पिता अमरा कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—प्रकाश पिता अमरा कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—मांगीदेवी बेवा अमरा कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—जगदीश पिता डालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—गीता पुत्री डालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—मोहनी पुत्री डालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—मंजु पुत्री डालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—संतोक पुत्री डालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—बाली पुत्री डालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—काना पिता लालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—शंकरलाल पिता लालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—सौरभकुमार पिता श्यामलाल त्रिवेदी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—मालती पुत्री श्यामलाल त्रिवेदी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—मधु पुत्री श्यामलाल त्रिवेदी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16—साधना पुत्री श्यामलाल त्रिवेदी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17—कल्पना पुत्री श्यामलाल त्रिवेदी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18—मीनाक्षी पुत्री श्यामलाल त्रिवेदी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 05.03.2020

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 1060/10 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 890/7 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा स्थित है तथा उक्त आराजियात पूर्व में सोहनलाल पिमता नीलापत सुनार को आवटिंत हुई थी तथा सोहनलाल सुनार से वादीगण के पिता एवं पति द्वारा दिनांक 17.07.93 को जरिए रजिस्टर्ड व्रिकय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से

वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है प्रमाण में पुरानी जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस पेश की है। वादपत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित कृषि आराजियात एक ही चक होकर उस पर वादीगण ने बाड़ बना रखी है तथा सड़क के पश्चिम में स्थित है। तथा साबिक नक्शे में सा.आ.स. 890/7 की जगह खाली छोड़ दी जबकि आराजी संख्या 890/3 के दक्षिण में खाली जगह पर 890/7 की जगह दर्ज किया जाना था व इसके दक्षिणी कोने पर त्रिभुजाकार वाली खाली जगह पर सा.आ.स. 1060/10 रकबा 13 बिस्वा दर्ज करना चाहिये था परन्तु राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही से साबिक नक्शे में नम्बरो को सही तरमीम नह की गई मौके पर वादीगण उक्त खाली जगह व उसके दघिणी कोने पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादीगण से पूर्व सोहनलाल भी उसी जगह काबिज चला आ रहा है जिससे अरसा करीब 40 वर्ष हो गए है। तहसील रायपुर का भू प्रबन्ध होन से ग्राम केतुणिया का भी भु प्रबन्ध हुआ जिससे वादीगण की साबिक आ.स. 1822 रकबा 0.52 है आ.स.1896 रकबा 0.14 है0 कुल किता 2 कुल किता 0.66 है0 कायम किये गए। भू प्रबन्ध के दौरान वादीगण की साबिक आराजियात के नवीन नम्बर एवं रकबा तो सही कायम किया परन्तु वादीगण की नवीन आ.स. 1822 को मौके पर कब्जे एवं साबिक नक्शे के विपरीत नक्शे में सड़क से दुर आ.स. 1820 के पश्चिम में दर्ज कर दिया तथा वादीगण के कब्जे काश्त की जमीन की जगह प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की आ.स. 1421 को दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की आ.स. 1421 सड़क से पूर्व दिशा में सड़क से लगती हुई है तथा प्रतिवादीगण का कब्जा भी सड़क के पूर्व दिशा में है तथा वादीगण की नवीन आ.स. 1895 में मिला दिया जो गलत होकर अवैध है। वादीगण मौके पर आ.स. 1421 व आ.स. 1895 में 0.66 है0 पर वर्गाकार स्थिति में काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 13 से 18 वादीगण के दक्षिण में सड़क से लगते हुए आ.स. 1896 व 1897 पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 ने वादीगण के विरूद्व धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट में वादपत्र पेश किया जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2017 को निर्णय पारित किया गया जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 की आराजी को सड़क से पूर्व में दर्ज करने तथा आ.स. 1421 को जहां वादीगण का कब्जा है बिलानाम करने का आदेश किया गया परन्तु अभी तक उसकी पालना नही की गई । निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पेश की है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इन्दाज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जाए कि वादीगण की आ.स. 1822 रकबा 0.52 है0 तथा आ.स. 1896 रकबा 0.14 है0 को नवीन नक्शे में मौके पर कब्जे एवं साबिक रेकार्ड के अनुसार आ.स. 1821 एवं 1895 में वर्गाकार स्थिति में सड़क के पश्चिम में सड़क से लगती हुई दर्ज करने तथा आ.स. 1821 को सड़क के पूर्व दिशा में दर्ज करने तथा आ.स. 1897 व 1896 के स्थान पर आ.स. 1897 को दर्ज करने एवं नवीन नक्शे में आ.स. 1822 रकबा 0.52 है0 तथा शेष भाग आ.स. 1821 की जगह को बिलानाम दर्ज करने का आदेश प्रदान फरमाया जाए। तथा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जाए कि ग्राम केमुणिया की वादीगण के कब्जे काश्त की आ.स. 1822 0 1896 जो मौके पर आ.स. 1821 व 1895 की जगह है में वादीगण को फसल काश्त कर फसल लाभ लेने में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न अन्य से करावे तथा वादीगण को जबरन उनके हक एवं हिस्से तथा कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के पुनः वादीगण को कब्जा दिलाया जावें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 19.04.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण 1 से 12 वाबजुद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 13 से 18 को ओर अधिवक्ता उपस्थित ओर प्रतिवादी संख्या 19 की ओर से रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में दोराने सुनवाई उपस्थित हो पत्रावली पर अंकन कराया कि विपक्षीगण की नवीन आराजियात का नक्शा कब्जे अनुसार तरमीम करते हुए वादीगण का नक्शा भी दुरस्ते कराये जाने में सहमति व्यक्त की।

तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रस्तुत मोका रिपोर्ट में अंकन किया कि वादीगण वादवर्णित आराजियात खातेदारी हक से दर्ज है किन्तु मोके पर बिलानाम आराजी नम्बर 1821 रकबा 1.08 है0 मे से 0.58 है0 इसी के साथ आराजी नम्बर 1818 रकबा 0.08 है0 भूमि पर काबिज है ओर चारो तरफ पत्थर की दीवार बना रखी है। वादीगण के नाम दर्ज आराजी 1822 एवं 1896 पर कही भी कब्जा नही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं मोका रिपोर्ट पर गहनता से विचार किया तो पाया कि वादीगण का 1822 एवं 1896 पर कब्जा नही होकर 1821 उवं 1818 पर कब्जा है मोके अनुसार वादीगण के नाम दर्ज रकबे की सीमा तक भूमि दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद आशिंक स्वीकार किया जाकर ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादवर्णित आराजी संख्या 1822 रकबा 0.52 है0, एवं आराजी संख्या 1896 रकबा 0.14 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 है0 भूमि के बजाय आराजी नम्बर 1821 रकबा 0.58 है0 एवं आराजी संख्या 1818 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा आराजी नम्बर 1822 एवं 1896 कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 है0 भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5.3.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–19/2018 (2018/00052) वाद पत्र

उनवान

1–जाकिरहुसैन पिता मोईनुदीन नीलगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
2–शराफतहुसैन पिता मोईनुदीन नीलगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
3–रहमतबानु पुत्री मोईनुदीन नीलगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
4–रजियाबानु पुत्री मोईनुदीन नीलगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा
5–कमरूनिशा बेवा मोईनुदीन नीलगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जि. भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–नारायणलाल पिता अमरा कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–मदनलाल पिता अमरा कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–प्रकाश पिता अमरा कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–मांगीदेवी बेवा अमरा कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–जगदीश पिता डालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–गीता पुत्री डालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–मोहनी पुत्री डालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–मंजु पुत्री डालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–संतोक पुत्री डालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–बाली पुत्री डालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11–काना पिता लालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12–शंकरलाल पिता लालु कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13–सौरभकुमार पिता श्यामलाल त्रिवेदी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14–मालती पुत्री श्यामलाल त्रिवेदी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15–मधु पुत्री श्यामलाल त्रिवेदी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16–साधना पुत्री श्यामलाल त्रिवेदी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17–कल्पना पुत्री श्यामलाल त्रिवेदी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18–मीनाक्षी पुत्री श्यामलाल त्रिवेदी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद आशिंक स्वीकार किया जाकर ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादवर्णित आराजी संख्या 1822 रकबा 0.52 है0, एवं आराजी संख्या 1896 रकबा 0.14 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 है0 भूमि के बजाय आराजी नम्बर 1821 रकबा 0.58 है0 एवं आराजी संख्या 1818 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा आराजी नम्बर 1822 एवं 1896 कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 है0 भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 05.03.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई

5.3.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.12 15:23:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: